



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062021-227382
CG-DL-E-04062021-227382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 2021/ज्येष्ठ 14, 1943

No. 213]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 2021/JYAISHTHA 14, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

सन्दर्भ : HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(165).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकर्ता है:

1. भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में का. आ. 2148 (अ) दिनांक 25 मई 2018

अनुसूची के क्रम संख्या (24), कालम (4) में – 'लागू नहीं' को 'आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17021 : 2011' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या (24), कालम (5) में – 'लागू नहीं' को '19 मई 2018' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या (31), कालम (4) में – 'लागू नहीं' को 'आई एस/आई एस ओ/आई ई सी गाइड 28 : 2004 एवं आई एस/आई एस ओ/आई ई सी गाइड 53:2005' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या (31), कालम (5) में – 'लागू नहीं' को '19 मई 2018' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या (33), कालम (4) में – 'लागू नहीं' को 'आई एस/आई एस ओ/आई ई सी गाइड 67 : 2004' से प्रतिस्थापित करें।

- अनुसूची के क्रम संख्या (33), कालम (5) में – ‘लागू नहीं’ को ‘19 मई 2018’ से प्रतिस्थापित करें।
अनुसूची के क्रम संख्या (33), कालम (2) में – ‘आई एस/आई एस ओ/आई ई सी/टी एस 17067 : 2013’ को ‘आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17067 : 2013’ से प्रतिस्थापित करें।
2. भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में का. आ. 3114 (अ) दिनांक 3 अक्टूबर 2016
अनुसूची के क्रम संख्या (7), कालम (4) में – ‘लागू नहीं’ को ‘आई एस/आई एस ओ/आई ई सी गाइड 43-1 : 1997 एवं आई एस/आई एस ओ/आई ई सी गाइड 43-2 : 1997’ से प्रतिस्थापित करें।
अनुसूची के क्रम संख्या (7), कालम (5) में – ‘लागू नहीं’ को ‘29 सितम्बर 2016’ से प्रतिस्थापित करें।
अनुसूची के क्रम संख्या (10), कालम (4) में – ‘लागू नहीं’ को ‘आई एस/आई एस ओ/आई ई सी गाइड 65 : 1996’ से प्रतिस्थापित करें।
अनुसूची के क्रम संख्या (10), कालम (5) में – ‘लागू नहीं’ को ‘29 सितम्बर 2016’ से प्रतिस्थापित करें।
3. संदर्भ HQ-PUB13/1/2020-PUB-BIS (119) दिनांक 31 दिसम्बर 2020 एवं संदर्भ HQ-PUB13/1/2020-PUB-BIS (140) दिनांक 18 मार्च 2021:
अनुसूची के क्रम संख्या (8), कालम (5) में – ‘15 जनवरी 2021’ को ‘27 अक्टूबर 2021’ से प्रतिस्थापित करें।
जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक 'जी' एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)
[विज्ञापन-III/4/असा./78/2021-22]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd June, 2021

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(165).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the specified NOTIFICATIONS of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018:

(1) Extraordinary vide S.O. 2148 (E) dated 25 May 2018:

Sl. No. 24, column (4) of the schedule — Substitute ‘IS/ISO/IEC 17021:2011’ for ‘NA’

Sl. No. 24, column (5) of the schedule — Substitute ‘19 May 2018’ for ‘NA’

Sl. No. 31, column (4) of the schedule — Substitute ‘IS/ISO/IEC Guide 28:2004 and IS/ISO/IEC Guide 53:2005’ for ‘NA’

Sl. No. 31, column (5) of the schedule — Substitute ‘19 May 2018’ for ‘NA’

Sl. No. 33, column (4) of the schedule — Substitute ‘IS/ISO/IEC Guide 67:2004’ for ‘NA’

Sl. No. 33, column (5) of the schedule — Substitute ‘19 May 2018’ for ‘NA’.

Sl. No. 33, column (2) of the schedule — Substitute ‘IS/ISO/IEC 17067:2013’ for ‘IS/ISO/IEC/TS 17067:2013’

(2) Extraordinary vide S.O. 3114 (E) dated 3 October 2016:

Sl. No. 7, column (4) of the schedule — Substitute ‘IS/ISO/IEC Guide 43-1:1997 and IS/ISO/IEC Guide 43-2:1997’ for ‘NA’

Sl. No. 7, column (5) of the schedule — Substitute ‘29 September 2016’ for ‘NA’

Sl. No. 10, column (4) of the schedule — Substitute ‘IS/ISO/IEC Guide 65:1996’ for ‘NA’

Sl. No. 10, column (5) of the schedule — Substitute ‘**29 September 2016**’ for ‘**NA**’

(3) Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(119) dated 31 December 2020 read along with Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(140) dated 18 March 2021:

Sl. No. 8, column (5) of the schedule — Substitute ‘**27 Oct 2021**’ for ‘**15 Jan 2021**’

J. ROY CHOWDHURY, Scientist 'G' & DDG (Standardization – P & M)
[ADVT.-III/4/Exty./78/2021-22]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

सन्दर्भ : HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS(166).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा भारत के राजपत्र में संदर्भ HQ-Pub015/1/2020-Pub-BIS (150) दिनांक 30 मार्च 2021 के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

अनुसूची के क्रम संख्या (06), कॉलम (5) में – ‘22 अप्रैल 2021’ को ‘22 जुलाई 2021’ से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक 'जी' एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)
[विज्ञापन-III/4/असा./78/2021-22]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd June, 2021

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS(166).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary vide Ref: HQ-Pub015/1/2020-Pub-BIS (150) dated 30 March 2021 in pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018:

Sl. No. (06), column (5) of the schedule – Substitute ‘22 July 2021’ for ‘22 April 2021’.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist 'G' & DDG (Standardization – P & M)
[ADVT.-III/4/Exty./78/2021-22]